भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4608

जिसका उत्तर 21.08.2025 को दिया जाना है

स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम

†4608. श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम (वीवीएमपी) के अंतर्गत 2022 में इसके आरंभ के बाद से राज्य-वार कुल कितने वाहनों को स्क्रैप किया गया है;

(ख) इन स्क्रैप किए गए वाहनों से उत्पन्न लौह (लोहा और इस्पात) और अलौह (जैसे एल्युमीनियम और तांबा) स्क्रैप की कितनी मात्रा का उपयोग घरेलू ऑटोमोबाइल पार्ट्स विनिर्माण में किया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने ऑटोमोबाइल उत्पादन में प्रयुक्त पुनर्चक्रित धातुओं को ट्रैक करने और गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) अगस्त, 2025 तक , पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ) में कुल 2,76,990 वाहन स्क्रैप किए जा चुके हैं । संबंधित राज्यों में स्थापित आरवीएसएफ द्वारा स्क्रैप किए गए वाहनों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) और (ग) मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 के नियम 13(10) में कहा गया है कि यदि स्क्रैपिंग यार्ड में हानिकारक अपशिष्ट (जैसे ई-कचरा, लेड एसिड बैटरी, लिथियम-आयन घटक, या दुर्लभ पृथ्वी धातुओं की पुनप्राप्ति आदि) के जिम्मेदार पुनर्चक्रण के लिए पर्याप्त क्षमता या प्रावधान नहीं हैं, या स्क्रैप सामग्री के पुनर्चक्रण के लिए जो इसके दायरे से बाहर है, तो ऐसी सामग्री को विधिवत अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं या एजेंसियों को बेचा जाएगा, जिनके पास पर्याप्त क्षमता और लाइसेंस है।

इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 6 जनवरी, 2025 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण संरक्षण (जीवन समाप्ति वाहन) नियम, 2025 जारी किया है, जो 1 अप्रैल, 2025 को लागू हुआ, जिसमें पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से ईएलवी के प्रबंधन, पुनर्चक्रण और निपटान को विनियमित करने और ऑटोमोटिव क्षेत्र में चक्रीयता को बढ़ावा देने के लिए विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) ढांचे की शुरुआत की गई।

ये नियम उत्पादकों (निर्माताओं, ब्रांड मालिकों और वाहनों के आयातक), पंजीकृत मालिकों और थोक उपभोक्ताओं, संग्रहण एजेंट और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ) की विभिन्न उत्तरदायित्वों को रेखांकित करते हैं ताकि जीवन-काल समाप्त हो चुके वाहनों का संग्रहण, चैनलाइज़ेशन, डिस्मेंटलिंग और पुनर्चक्रण पर्यावरण के अनुकूल तरीके से सुनिश्चित की जा सके और साथ ही, अपशिष्ट में कमी भी सुनिश्चित की जा सके। उत्पादकों को जीवन-काल समाप्त हो चुके वाहनों से प्राप्त स्टील के लिए पुनर्चक्रण का लक्ष्य पूरा करना होगा, जिसकी शुरुआत 2025-26 में 8% से होगी और बाद के वर्षों में इसे धीरे-धीरे बढ़ाकर 18% किया जाएगा, घरेलू बाज़ार में पेश किए जा रहे या पेश किए जाने वाले वाहनों के लिए, जिससे ऑटोमोटिव क्षेत्रों में स्थायी पुनर्चक्रण को बढ़ावा मिले।

स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संबंध में श्री तेजस्वी सूर्या द्वारा 20.08.2025 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4608 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थापित आरवीएसएफ द्वारा स्क्रैप किए गए वाहनों की संख्या**
आंध्र प्रदेश	11008
असम	6890
बिहार	2266
चंडीगढ़	8646
छत्तीसगढ	1327
गोवा	305
गुजरात	15448
हरियाणा	38993
हिमाचल प्रदेश	741
कर्नाटक	5678
लद्दाख	217
मध्य प्रदेश	6892
महाराष्ट्र	19310
ओडिशा	2737
पंजाब	4553
राजस्थान	15420
तेलंगाना	1181
उत्तर प्रदेश	121206
उत्तराखंड	4437
पश्चिम बंगाल	9735
कुल	**276990**

****